



आवेदन की तिथि 31/08/16
 अधिसूचना की तिथि 31/08/16
 निर्गत तिथि 31/08/16

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या...1685 (1) / 2016...

(I) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
8/9/16	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती... देवी पिता/पति... साकिम... थाना... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा... मौजा नं०... खाता नं०... प्लॉट नं०... दलील सं०... दिनांक... के द्वारा श्री/श्रीमती... से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक... को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p>
22/9/16	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं०... में विक्रेता के विक्रेता के... के नाम लगान से रसीद कट रहा हैं। आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की सशि को कोषामार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

के द्वारा प्रेषित की गई
 31/08/16
 प्रेषित/तंकक

मैंने मिलान किया
 31/08/16
 सहोयक

अंचल अधिकारी
 धनबाद।

प्रमाणित/प्रतिलिपि
 31/08/16
 प्रधान
 धनबाद



आवेदन की तिथि
अभिमुक्ता की तिथि
निर्गत तिथि

11/11/16
11/11/16
11/11/16

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रिचता) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

सं. 5-40

क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तर केस संख्या	गाँव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तर मंजूर करनेवाला अधिकारी और खर्च की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होगा है किन्हीं बान विनियम, उत्तराधिकार या बचपान हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा ब्यौर	कर्मचारी द्वारा रिचता पंजीकृत तारीख की शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
1	1685 I / 2016-17	नावाडीह	चनबाद ०२	खसम - ०३ खं 62 खोह - 321, 723, 754 खस्रा - 6.60 बी.वा 4 फुल ख्यान - 4.00 बी.वा 20.10	अचल व्यक्तिकारी, चनबाद	कलिल खं 4819 दिनांक 18/11/16	अमांतरी खं 1886 खं 292 मुख्या खेप 0 खसिया खेनी 0 खसिया कुमारी गया खेप. श्रीमती शिमला खेनी पत्नी - श्री खेप 9 खोह 2 खसु सा - यानी खोह, मुख्या चनबाद		

शासक संख्या 0 ता. 200
कर्मचारी रिचता सं. को जानकारी और आवरणक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

साक्षित पदाधिकारी / अचलाधिकारी
साक्षित / अचल

22/09/16

ने द्वारा फोटो कोपी
केसा गया
प्रतिलिपिक / टंकक

मैंने रिचत किया
सहायक

प्रमाणित सचची प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
अचल कार्यालय
चनबाद